



2026:AHC-LKO:6122

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 54/2026

रघुनाथ

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – योगेश्वर शरण श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 25

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश्वर शरण श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

प्रस्तावित पारित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को नोटिस जारी करने से उन्मोचित किया जाता है।

जनहित याचिका (PIL) के रूप में यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के अनुरोध सहित दायर की गई है:

i. परमादेश के रूप में एक रिट जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को ग्राम- नथाईपुर कुंवर, परगना-सादुल्लानगर, तहसील-उतरौला, जिला-बलरामपुर में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता भूमि, गाटा संख्या 553 क्षेत्रफल 0.610 हेक्टेयर (तालाब) और गाटा संख्या 554 क्षेत्रफल 0.1340 हेक्टेयर पर अतिक्रमणकारियों/प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया जाए।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तहसीलदार उतरौला, जिला बलरामपुर द्वारा दिनांक 24.01.2026 को प्रेषित निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कहा गया है कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (1) के अंतर्गत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पहले ही प्रारंभ कर दी गई है। उक्त निर्देश अभिलेख में ग्रहण कर लिये गए हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है क्योंकि राजस्व अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पहले ही प्रारंभ कर दिए जाने के कारण इस स्तर पर अन्य किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यह आशा की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत, पूर्ण कर ली जाएगी।

28 जनवरी, 2026

आशीष देवल

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय)